राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि–1/प्राशि/2003/पार्ट–1 जयपुर दिनांकः 25/07/2017.

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से सामान्य शिक्षक लेवल – I (NON TSP AREA) के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 970/2017 गोपाल सिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.07.2017 द्वारा जयपुर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक–सामान्य शिक्षक लेवल– I (NON TSP AREA) भर्ती, 2016 में नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु दिनांक 11.07.2017 को आयोजित काउंसलिंग को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। चूंकि उक्त याचिका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2017 को निस्तारित कर दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार निवेदन है कि काउंसलिंग का आयोजन तत्काल किया जाकर, नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण की जावे।

भवदीय,

25/7/17

(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. जिला कलेक्टर, जयपुर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

www.rajteachers.com